

न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

करण संख्या 12/2019

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

..... पुत्र
जाति राजविन्ह सिंह साकिन 30.6.18 निर्णय दिनांक 22.4.19
कम्बोज सिन्हा

इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

पटवारी हल्का 30.6.18 ने इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 30.6.18 के मु. नं. 317/428 के कि. नं. के कुल 0.342 है रकबा राज पर राजविन्ह सिंह पुत्र चरणासिंह जाति कम्बोज सिन्हा साकिन 30.6.18 ने फसल रबी/खरीफ में जिन्स रकबा पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी के आवेदन को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी प्रारूप में नोटिस जारी किया गया। नोटिस में विनिर्दिष्ट भूमि का अंकन कर, अप्रार्थी से यह आपेक्षा की गई थी, कि वह निर्धारित तिथि तक इस भूमि से अपना अधिभोग हटा लें, अन्यथा उपस्थित आकर ऐसा न करने का कारण बतावें। नोटिस अप्रार्थी पर विहित रिति से तामिल हुआ।

नोटिस के प्रत्युत्तर में, अप्रार्थी न तो उपस्थित आया और न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रशनगत भूमि रकबा राज है। अतः अप्रार्थी राजविन्ह सिंह पुत्र चरणासिंह को चक 30.6.18 के मु.नं. 317/428 के 0.342 है रकबा राज को इस अतिचार के लिये उस पर भू. राजस्व का 1.0 गुणा रूपये 27 अखरे रूपये सत्तास रूपये मात्र की शास्ती आरोपित किया जाता है भू. अभि. निरीक्षक को पूर्व में फसल कुर्क करने का अन्तरिम आदेश दिये गये थे, उसकी पुष्टि की जाती है। भू. अभि. निरीक्षक को आदेश जारी हो कि शास्ती की मांग ढालबाछ में कायम, वसूली करें। तथा अप्रार्थी को उक्त रकबा राज से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेवे। T.R.A. के 'घ' रजिस्टर में मांग कायम करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब व तफसील दाखिल दफ्तर हो।

(निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।)

तहसीलदार (राजस्व)
अनूपगढ़